[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3 उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना .

नई दिल्ली, तारीख: /:र2017	नई	दिल्ली,	तारीख:	101	¹ 2017
---------------------------	----	---------	--------	-----	-------------------

, सा.का.नि. (अ)......केन्द्रीय सरकार, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 31 मार्च, 2009 अधिसूचना संख्या सा.आ. 891(अ) तारीख में निम्निलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

- 2. उक्त अधिसूचना में, -
- (क) क्रम संख्या 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"5क. धारा 51";

(ख) क्रम संख्या ७ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्वात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"7क. धारा 63, 64 और धारा 65"।

[फा. सं. 1/7/2012-सीएल-V]

्रेणुद्र) र्जुमार (रेणुका कुमार) संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पणः यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.आ. 891(अ) तारीख 31 मार्च, 2009 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB SECTION (i)]

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

G.S.R (E)....-In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification number S.O. 891(E), dated the 31st March, 2009, namely:-

- 2. In the said notification,-
- (a) after serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"5A. Section 51";

(b) after serial number 7 and the entries relating there to, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"7A Section 63, 64 and section 65".

[F.No. 1/7/2012-CL-V]

Renuka Kumar

Joint Secretary to Govt .of India

Note: The notification was published in the Gazette of India, vide number S.O. 891(E), dated the 31st March, 2009.